(42)

# बिहार सरकार
## मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
## आदेश

पटना, दिनांक–.....

का0आ0सं0–8बी / आरोप–अरा0नि0–05 / 2024..3872/– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–23 के अन्तर्गत सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार के समक्ष श्री संजय कुमार, तत्कालीन अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर, सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा विभागीय आदेश सं0–171, दि0–08.01.2026 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (बी) के संगत प्रावधानों के तहत् उनके पेंशन से 65% (पैंसठ प्रतिशत) राशि की कटौती के अधिरोपित एवं संसूचित दंड के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया गया है।

2. श्री संजय कुमार, तत्कालीन अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर के पदस्थापन अवधि में दस्तावेज सं0–15821 दिनांक–20.12.1985 (बिक्रेता–श्री नभैय सिंह, पिता–स्व0 ईन्दर सिंह, क्रेता–बासुदेव प्रसाद सिंह, पिता–भुजंगी सिंह) को अभिलेखागार, जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर में संधारित पुस्तक वही सं0–80 वर्ष–1985 (तैयारी वर्ष–1988) पृष्ठ सं0–39–42 में संचित रिकार्ड से गायब कर साजिश के तहत जालसाजी एवं कुटरचित दस्तावेज तैयार कर जाली (फर्जी) दस्तावेज सं0–15821 (बिक्रेता–सरदार सरणजीत सिंह और सरदार प्रतिपाल सिंह, पिता–स्व0 सरदार बलवंत सिंह क्रेता–श्री भोला सिंह, पिता–स्व0 छेदी सिंह) को स्थापित किये जाने का प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के आलोक में आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट आरोपों की वृहत जाँच हेतु विभागीय आदेश सं0–2522 दिनांक–16.05.2025 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोपी कर्मी श्री कुमार के विरूद्ध अपने पदस्थापन अवधि में अभिलेखों का समय–समय पर पर्यवेक्षण नहीं किये जाने, पदस्थापन काल में उनके द्वारा अभिलेखागार का समुचित रूप से पर्यवेक्षण नहीं किये जाने एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण का उल्लंघन करने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी कर्मी श्री संजय कुमार, तत्कालीन अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान की अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा समीक्षोपरांत श्री कुमार द्वारा अपने पदस्थापन अवधि में अभिलेखों का समय–समय पर दृढ़तापूर्वक पर्यवेक्षण नहीं किये जाने एवं आरोपी कर्मी द्वारा अपने सरकारी दायित्वों एवं कर्त्तव्यों का समुचित रूप से पालन नहीं करने एवं पदस्थापन काल में उनके द्वारा अभिलेखागार का समुचित रूप से पर्यवेक्षण नहीं किये जाने एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल प्रमाणित आरोपों के लिये बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (बी) के संगत प्रावधानों के तहत उनके पेंशन से 65% (पैंसठ प्रतिशत) राशि की कटौती करने का दण्ड अधिरोपित व संसूचित किया गया। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर दिनांक–04.06.2026 को सुनवाई की गयी।

4. अपीलार्थी के अपील आवेदन के आलोक में अभिलेख की जॉच की गई। अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के क्रम में एवं अपील आवेदन में अपना पक्ष रखा है कि जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर के आदेशानुसार उनके द्वारा अभिलेखागार में रखे दस्तावेजों का कम्प्यूटीकरण / डिजीटाइजेशन के बाद बुक वाइडिंग का कार्य किया गया है, इस बीच में अभिलेख के साथ जालसाजी व कूटरचना किनके द्वारा की गयी, इसकी जानकारी उन्हे नहीं है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित दंडादेश की समीक्षा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 27 के अधीन निम्न मानकों पर की गयीः–

(क) अनुशासनिक प्राधिकार ने दंडादेश पारित करने के क्रम में नियमावली में विहित प्रकियाओं का सर्वथा पालन किया है, उनके द्वारा भारत के संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(ख) अनुशासनिक प्राधिकार का निष्कर्ष अभिलेख पर रखे गये साक्ष्य द्वारा समर्थित है।

(ग) उपरोक्त कंडिका 'क' एवं 'ख' के औपचारिकताओं के निर्वहन के बावजूद अपीलार्थी के अपील अभ्यावेदन के आलोक में उसके निजी जीवन में घटित अप्रत्याशित एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के मद्देनजर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत अधिरोपित एवं संसूचित दण्ड स्थायी रूप से 65% (पैंसठ प्रतिशत) पेंशन की कटौति को 5 (पाँच) वर्ष के लिए सीमित किया जाता है।

6. अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत अपीलार्थी श्री संजय कुमार, तत्कालीन अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत के अपील अभ्यावेदन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम 27 (2) उप कंडिका 'ग' के अन्तर्गत विभागीय आदेश सं0–452 दिनांक–20.01.2026 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित स्थायी रूप से 65% (पैंसठ प्रतिशत) पेंशन की कटौती 5 (पाँच) वर्षों के लिए का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

7. अतएव उक्त के आलोक में श्री संजय कुमार, तत्कालीन अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत के अपील अभ्यावेदन को निष्पादित किया जाता है।

8. इसमें विभागीय सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।
पटना, दिनांक–.....24.06.26

ज्ञापांक– 8बी/आरोप–अरा0नि0–05/2024.....3872/–

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, भागलपुर/उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/ सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/जिला अवर निबंधक, भागलपुर/प्रशाखा पदाधिकरी, प्रशाखा–06/आई0टी0 मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री संजय कुमार, तत्कालीन अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर, सम्प्रति सेवानिवृत, मोहल्ला–गुलजार पोखर, पोस्ट–मुंगेर, जिला–मुंगेर पिन कोड–811201 मो0–9304074545 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/6/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

24/6/26